17. ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित एवं कार्यान्वित हो रहे सभी गरीबी उन्मूलन कार्य पंचायतों के अधीन होने चाहिए।

18. अखिल भारतीय स्तर पर पंचायतों के आकार, स्वरूप, कर्तव्यों एवं अधिकारों में एकरूपता लाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

19. पंचायती राज संस्थाओं में तालमेल बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।

20. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए।

Regularisation of Unauthorised Colonies

2650. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the New Delhi Municipal Council has decided to provide water and electricity connections to the residents of an unauthorised colony, namely, Anant Ram Dairy;

(b) whether the Ministry had recommended the name of colony for regularisation to Delhi Government in March, 1994;

(c) whether there are still more unauthorised colonies under jurisdiction of New Delhi Municipal Council;

(d) whether the Ministry also propose to recommend these colonies for regularisation to Delhi Government; and

(e) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) Yes, Sir.

(b), (d) and (e) No, Sir. This Ministry takes policy decision about regularisation of unauthorised colonies in Delhi. The unauthorised colonies are regularised by MCD/GNCTD pursuent to the guidelines issued by this Ministry. However, at present in a Civil Writ Petition filed by Common Cause Registered Society, the High Court of Delhi has restrained the respondents, including Union of India, from taking any further decision or action for regularising any unauthorised colony till further orders.

(c) No, Sir.

रेलगाड़ियों में जोड़े जाने वाले डिब्बों की संख्या में वृद्धि

2651. **श्री नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या यात्रियों की भीड़ की तुलना में अपर्याप्त हैं,

(ख) यदि हां, तो सामान्य दर्जे के डिब्बों सहित रेलगाड़ी में लगाए जाने वाले डिब्बों की सख्या कितनी है और क्या उनकी संख्या बढ़ायी जायेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) छुट्टियों, त्यौहारों, मेलों के दौरान कतिपय गाड़ियों में लगाए जाने वाले सवारी डिब्बों की सख्यां पर्याप्त नहीं होती है।

(ख) और (ग) इंजन की वहन क्षमता, प्लेटफार्म, अन्य सुविधाओं और सवारी डिब्बों की उपलब्धता के अनुरूप उन गाड़ियों में एक या दो अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगा करके भीड़ की निकासी के प्रयास किए जाते हैं, ऐसे मौकों पर विशेष गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाती है

Reorganisation of CBI

2652. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to dispose of a large number of cases pending investigations with CBI, Government have proposed to reorganised the present structure;